

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 23(2)(55)त.शि./2015 पार्ट-2 वो. 2 01632 पार्ट-2 जयपुर, दिनांक: 07.2025

Director/Principal,

Kautilya College

NH-27, By Pass Rawatbhata Road,

Naya Gaon, Kota- 324010

विषय :- **NOC for To start new Programme/ Level in the existing Institutions.**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं निदेशक, तकनीकी शिक्षा, जोधपुर से प्राप्त अभिशंषानुसार आपके संस्थान को **BCA पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता- 60, सत्र 2025-26** से प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उक्त अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि समस्त विद्यार्थियों (नियमित/स्वयंपाठी) के अध्यापन, फीस एवं लीगल संबंधित तथा स्टाफ से संबंधित समस्त जिम्मेदारी स्वयं संस्थान की रहेगी तथा एआईसीटीई, बीटीयू बीकानेर/आटीयू कोटा/बीटीईआर, जोधपुर एवं राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा जारी गाईडलाइन एवं आदेशों की पालना भी सुनिश्चित की जावे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय

(डॉ. हरिशंकर मेवाडा)

संयुक्त सचिव, त.शि.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, तकनीकी शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, गांधी नगर, जयपुर।
4. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, चंडीगढ़।
6. कुलसचिव, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।
7. निदेशक, सेन्टर फोर ई-गवर्नेन्स, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, त.शि.